कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email- jdajodhpur@rajasthan.gov.inn वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक/आवंटन/2014/1802–5/II/2608–645 दिनांक :: 9 फरवरी, 2015

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री भूराराम चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 4 फरवरी, 2015 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 4 दिसम्बर, 2014 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 4 दिसम्बर, 2014 को आयोजित हुई। बैठक का कार्यवाही विवरण जारी हो चुका है। अतः कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 4 दिसम्बर, 2014 के जारी कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: ग्राम कैरू के खसरा संख्या 812 में राजस्थान आवासन मण्डल को 1500 बीघा भूमि आवंटन बाबत।

राजस्थान आवासन मण्डल को ग्राम कैरू के खसरा संख्या 812 में 1500 बीघा भूमि आवंटन हेतु मांग की गयी है। जिसके संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा ग्राम कैरू के खसरा संख्या 812 में से 1500 बीघा भूमि जोधपुर–जैसलमेर हाईवे तथा रिंग रोड के समानान्तर एवं बीच में समतल वाद रहित व अतिक्रमण रहित भूमि ग्रामीण डी.एल.सी. दर के डेढ़ गुणा दर पर आवंटित कराने हेतु पत्र क्रमांक प.1 (4) भूअ/ 842 दिनांक 3 नवम्बर, 2014 द्वारा सहमति प्रदान की है तथा जिसके संबंध में शासन उप सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान के पत्र क्रमांक प. 8 (52) नविवि/2014 दिनांक 9 नवम्बर, 2014 द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल के सहमति अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश प्राप्त हुए है। जिसके अनुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपायुक्त–पश्चिम, प्राधिकरण को राजस्थान आवासन मण्डल को नियमानुसार डिमाण्ड नोटिस जारी करने एवं कब्जा हस्तान्तरण करने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशिता करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: नवीन सी.ई.पी.टी. की स्थापना हेतु रीको को ग्राम सालावास के खसरा संख्या 90 में 25 बीघा भूमि संयुक्त अपशिष्ट उपचार संयंत्र हेतु आवंटन करने बाबत।

नवीन संयुक्त अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सी.ई.पी.टी.) की स्थापना हेतु ग्राम सालावास के खसरा संख्या 90 रकबा 117 बीघा में से 25 बीघा भूमि संयुक्त अपशिष्ट उपचार संयंत्र हेतु उप शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. 3 (241) नविवि/3/2011

2

जयपुर दिनांक 2 जनवरी, 2015 के जरिये आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत दर पर आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई। उपरोक्त राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति अनुसार रीको को ग्राम सालावास के खसरा संख्या 90 में 25 बीघा भूमि संयुक्त अपशिष्ट उपचार संयंत्र के लिए आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत दर पर आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में 25 प्रतिशत आवासीय आरक्षित दर पर भूमि आवंटन की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761 रकबा 751 बीघा भूमि प्राधिकरण के नाम हस्तान्तरण बाबत।

रीको द्वारा नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्यवाही प्रगति पर है। प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 761 की 751 बीघा भूमि जो कि राजकीय भूमि है तथा वर्तमान में पंचायत के नाम दर्ज है। उक्त राजकीय भूमि प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में अवस्थित होने से प्राधिकरण की भूमि है। अतः उक्त भूमि ग्राम तिंवरी खसरा संख्या 761 रकबा 751 बीघा भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की जानी है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में प्राधिकरण को भूमि हस्तान्तरण होने पश्चात् राज्य सरकार के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: ग्राम सुरपुरा के खसरा संख्या 6 की भूमि प्राधिकरण के नाम हस्तान्तरण बाबत।

सलाहकार (इन्फ्रा), रीको के कार्यालय पत्रांक आईपीआई(अ)/1216/2013/1267, दिनांक 16 अक्टूम्बर, 2013 द्वारा स्लरी निस्तारण के स्थाई समाधान हेतु ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 06 की भूमि डम्पिंग यार्ड हेतु आवंटन के लिये निवेदन किये जाने पर कार्यालय पत्रांक :एफ–46/उपायुक्त (उत्तर)/जेडीए/2014, दिनांक 16.12.2014 द्वारा आवंटित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल की जानकारी चाही गई।

उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, जोधपुर के कार्यालय पत्रांक यू(15)–( )/2014–15/ 4312, दिनांक 17.12.2014 द्वारा राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 6 के स्थान पर राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 6/1 की रकबा 36–05 बीघा भूमि किस्म बारानी चतुर्थ डम्पिंग यार्ड हेतु आवंटित किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। कार्यालय पत्रांक :एफ–46/उपायुक्त (उत्तर)/जेडीए/405, दिनांक 17.12.2014 द्वारा सलाहकार (इन्फ्रा), रीको से राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 6/1 की भूमि आवंटन हेतु उपयुक्त नही होने के कारण उनके पूर्व प्रस्तावानुसार खसरा नम्बर 6 की भूमि में से वांछित क्षेत्रफल की भूमि डम्पिंग यार्ड हेतु सशुल्क आवंटन हेतु प्रस्ताव मांगे गये।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अध्यक्षता में रीको के साथ जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विकास प्राधिकरण के विभिन्न लम्बित प्रकरणो का निस्तारण करने के सम्बन्ध में दिनांक 18.12.2014 को आयोजित बैठक में राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 6 में डम्पिंग यार्ड हेतु सशुल्क भूमि आवंटन करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में रीजनल मैनेजर, रीको, जोधपुर से दूरभाष पर वार्ता किये जाने पर उनके द्वारा राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 6 की भूमि में से 20 बीघा भूमि डम्पिंग यार्ड हेतु आवंटित किये जाने का निवेदन किया गया हैं। उक्त भूमि उक्त क्षेत्र की प्रचलित डी.एल.सी. दर की 25 प्रतिशत राशि पर आवंटित की जानी है।

प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट के अनुरूप मास्टर प्लान के भू–उपयोग प्रस्तावो के अनुसार राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा नम्बर 6 किस्म गोचर का भू–उपयोग औद्योगिक, सरकारी एवं पीयू प्रयोजनार्थ आरक्षित हैं। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में रीको के साथ जयपुर में दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 को हुई बैठक के कार्यवाही विवरण अनुसार डम्पिंग यार्ड निर्माण हेतु ग्राम सुरपुरा के खसरा संख्या 6 की भूमि में से 20 बीघा भूमि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कृषि भूमि की डी.एल.सी. दर की 25 प्रतिशत राशि पर रीको को आवंटन करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: ग्राम बोरानाडा, सालावास एवं हीराखेडा की 46–06 बीघा राजकीय भूमि प्राधिकरण के नाम हस्तान्तरण बाबत।

प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में ग्राम बोरानाडा, सालावास एवं हीराखेड की 46–06 बीघा राजकीय भूमि जो बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु अवाप्त 3151–04–12 बीघा निजी भूमि के मध्य स्थित है, जो कि राजकीय भूमि है तथा वर्तमान में पंचायत के नाम दर्ज है। उक्त राजकीय भूमि प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में अवस्थित होने से प्राधिकरण की भूमि है। अतः उक्त ग्राम बोरानाडा, सालावास एवं हीराखेड की 46–06 बीघा भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की जानी है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रश्नगत भूमि प्राधिकरण को हस्तान्तरण पश्चात् आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि पर रीको को भूमि आवंटन की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: 33 केवी जी.एस.एस सब स्टेशन निर्माण हेतु विद्युत विभाग को भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध में।

अधिक्षण अभियन्ता (डिस्कॉम) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मण्डोर, जोधपुर द्वारा पटवार हल्का जोलियाली ग्राम पुनिया की प्याऊ के खसरा नं. 235/4 किस्म गै.मु. गोचर रकबा 14–03 बीघा की भूमि में से 02 बीघा भूमि 33 केवी जी.एस.एस सब स्टेशन निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने की मांग की गयी। पटवारी (पश्चिम) से रिपोर्ट ली गयी, रिपोर्ट अनुसार पटवार हल्का जोलियाली ग्राम पुनिया की प्याऊ के खसरा नं. 235/4 गै.मु. गोचर रकबा 14–03 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। मौक पर भूमि खाली तथा भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। उपरोक्त ग्राम का क्षैत्र प्राधिकरण के गैर–योजना क्षेत्र जैसलमेर बाईपास पर स्थित है। जिसकी आवासीय आरक्षित दर 1700/–रूपये एंव वाणिज्यिक/व्यवसायिक आरक्षित दर 3400/–रूपये प्रतिवर्गमीटर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित है। पूर्व में जारी आरक्षित दर को तीन वर्ष पूर्ण होने के कारण आरक्षित दर में 10 प्रतिशत की बढोत्तरी की गयी है। बढोत्तरी अनुसार वाणिज्यिक दर 3740/–रूपये प्रतिवर्गमीटर होती है। विद्युत विभाग को उपरोक्त भूमि वाणिज्यिक आरक्षित दर पर आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 30–31 जुलाई, 2014 के प्रस्ताव संख्या 3(16) के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि का वाणिज्यिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा कर प्रकरण राज्य सरकार को आवंटन स्वीकृति के लिए प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है। आवंटन की सक्षम स्वीकृति नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर से लिया जाना अपेक्षित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान बैठक में उपस्थित अधीक्षण अभियन्ता, डिस्कॉम द्वारा बताया गया कि परिपत्र क्रमांक प. 3 (208) नविवि/3/95 पार्ट दिनांक 6 अगस्त, 2009 के तहत आरक्षित दर पर भूमि आवंटन किये जाने उल्लेख है। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भी 33 के.वी. जी.एस.एस. हेतु भूमि आवंटन आवासीय आरक्षित दर पर किया जा रहा है, तद्नुसार प्राधिकरण द्वारा भी आवंटन किया जावे। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अधीक्षण अभियन्ता, डिस्कॉम द्वारा प्रकट अभिमत के क्रम में एवं राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 3 (208) नविवि/3/95 पार्ट दिनांक 6 अगस्त, 2009 की पालना में भूमि आवंटन आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत दर पर करते हुए प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: ग्राम पंचायत स्तरीय भू–जल प्रबन्धन समिति (जी.पी.सी.एल) कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध में।

वरिष्ठ भू–जल वैज्ञानिक (आर.डी.एण्ड.डी) भू–जल विभाग, जोधपुर द्वारा ग्राम बैरू के खसरा नं. 183 किस्म गै.मु. पहाड़ रकबा 58–15 बीघा भूमि में से 01 बीघा भूमि ग्राम पंचायत स्तरीय भू–जल प्रबन्धन समिति (जी.पी.सी.एल) कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने की मांग की गयी। पटवारी (पश्चिम) से रिपोर्ट ली गयी, रिपोर्ट अनुसार ग्राम बैरू के खसरा नं. 183 किस्म गै.मु. पहाड़ रकबा 58–15 बीघा राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उपरोक्त ग्राम का क्षेत्र प्राधिकरण के गैर–योजना क्षेत्र में नगरीकरण योग्य सीमा के बाहर स्थित है। जिसकी आवासीय आरक्षित दर 1700/–रूपये प्रतिवर्गमीटर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित है। पूर्व में जारी आरक्षित दर को तीन वर्ष पूर्ण होने के कारण आरक्षित दर में 10 प्रतिशत की बढोत्तरी की गयी है। बढोत्तरी अनुसार आवासीय आरक्षित दर रूपये 1870/– रूपये प्रतिवर्गमीटर होती है। जिला परिषद/पंचायत समिति कार्यालय को उपरोक्त भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। आवंटन की सक्षम स्वीकृति नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर से लिया जाना अपेक्षित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से जी.पी.सी.एल. को कार्यालय भवन हेतु 1 बीघा भूमि आवासीय आरक्षित दर रूपये 1870/– प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि की आवंटन की प्राधिकरण की अभिशंषा के साथ स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोजों की ढाणी मोकलावास, को विद्यालय भवन एंव खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध में।

अति, जिला शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति मण्डोर, जोधपुर द्वारा ग्राम मोकलावास के खसरा नं. 60 किस्म बारानी–2 रकबा 61–07 बीघा भूमि में से 05 बीघा भूमि विद्यालय भवन निर्माण एंव 05 बीघा भूमि खेल मैदान अर्थात् कुल 10 बीघा भूमि आवंटन करने की मांग की गयी। पटवारी (पश्चिम) से रिपोर्ट ली गयी, रिपोर्ट अनुसार ग्राम मोकलावास के खसरा नं. 60 किस्म बारानी–2 रकबा 61–07 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उपरोक्त ग्राम का क्षेत्र प्राधिकरण के गैर–योजना क्षेत्र में नगरीकरण योग्य सीमा के बाहर स्थित है। जिसकी आवासीय आरक्षित दर 1700/–रूपये एंव वाणिज्यिक/व्यवसायिक आरक्षित दर 3400/–रूपये प्रतिवर्गमीटर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित है। पूर्व में जारी आरक्षित दर को तीन वर्ष पूर्ण होने के कारण आरक्षित दर में 10 प्रतिशत की बढोत्तरी की गयी है। बढोत्तरी अनुसार आवासीय दर 1870/–रूपये प्रतिवर्गमीटर होती है। जिला शिक्षा विभाग को उपरोक्त भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। आवंटन की सक्षम स्वीकृति

नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर से लिया जाना अपेक्षित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आसपास अन्य उपयुक्त वैकल्पिक भूमि का चयन कर विद्यालय से उक्त भूमि का प्रस्ताव मांगा जावे तथा प्रकरण पुनः संपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति/रिपोर्ट के साथ प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 10 :: राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाड़ी मालूंगा पंचायत समिति ओसियां, को विद्यालय भवन हेतु भूमि आवंटन करने के सम्बन्ध में।

जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जोधपुर द्वारा ग्राम बाड़ी मालूंगा के खसरा नं. 162 किस्म गै.मु. मंगरा रकबा 08–06 बीघा भूमि में से 02 बीघा भूमि विद्यालय भवन निर्माण के लिए आवंटन करने की मांग की गयी। पटवारी (पश्चिम) से रिपोर्ट ली गयी, रिपोर्ट अनुसार ग्राम बाड़ी मालूंगाा के खसरा नं. 162 किस्म गै.मु. मंगरा रकबा 08–06 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उपरोक्त ग्राम का क्षैत्र प्राधिकरण के गैर–योजना क्षेत्र में नगरीकरण योग्य सीमा के बाहर स्थित है। जिसकी आवासीय आरक्षित दर 1700/–रूपये एंव वाणिज्यिक/व्यवसायिक आरक्षित दर 3400/–रूपये प्रतिवर्गमीटर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित है। पूर्व में जारी आरक्षित दर को तीन वर्ष पूर्ण होने के कारण आरक्षित दर में 10 प्रतिशत की बढोत्तरी की गयी है। बढोत्तरी अनुसार आवासीय दर 1870/–रूपये प्रतिवर्गमीटर होती है। जिला शिक्षा विभाग को उपरोक्त भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। आवंटन की सक्षम स्वीकृति नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर से लिया जाना अपेक्षित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में राजकीय विद्यालय हेतु 2 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्राधिकरण की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 11 :: प्राधिकरण की आयोजना शााखा में डेडीकेटेड कन्सलटेंट, द्वारा नियुक्त अरबन प्लानर/ आर्किटेक्ट और संविदा पर नियुक्त अनुसंधान सहायकों की कार्यावधि बढाने बाबत्।

(क) आयोजना प्रकोष्ठ मे कार्यरत दो अरबन प्लानर (जी.आई.एस. विशेषज्ञ) कार्यरत है। जो निरन्तर एक साल से जोधपुर मास्टर प्लान पर कार्य कर रहे है, इनकी कार्यावधि मार्च 2015 तक बढ़ाई गई थी। आदेश क्रमांक F-37/Dir(P)/JDA/2014/167 दिनांक 25.11.2014 इनकी कार्य कुशलता एवं दक्षता, मास्टर प्लान की सम्पूर्ण जानकारी है। मास्टर प्लान को अन्तिम रुप दिये जाने के पश्चात् इनकी कार्यावधि राविल, जयपुर से समाप्त हो जावेगी, ऐसी स्थिति मे इनकी आवश्यकता मास्टर प्लान के क्रियान्वन, सेक्टर प्लान, रोड नेटवर्क प्लान, सेटेलाईट टाउन के मास्टर प्लान, जो. वि. प्रा. की भावी विशेष योजनाओ का निर्माण, अन्य सहायक कार्यो आदि जयपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर किये जाने के लिए इनकी मार्च 2016 तक कार्यावधि प्रस्तावित है।

(ख) आयोजना प्रकोष्ठ मे कार्यरत 3 अरबन प्लानर/आर्किटेक्ट कार्यरत है, इनकी कार्यावधि मार्च, 2015 तक है। आयोजना शाखा मे ले–आउट प्लान नियोजन एवं अनुमोदन, भवन निर्माण

अनुज्ञा, भू–उपयोग परिवर्तन, जो. वि. प्रा. की लम्बित योजनाओ का तकनीकी सहयोग एवं मास्टर प्लान से सम्बन्धित अन्य कार्य सन्तोषप्रद कर रहे है। इनके अनुभव एवं कार्यदक्षता को मध्यनजर एवं कार्य की महत्वता की परिपेक्ष्य मे इनकी कार्य अवधि मार्च 2016 तक बढ़ाना प्रस्तावित है।

(ग) आयोजना प्रकोष्ठ मे कार्यरत श्री खेताराम चौधरी एवं श्री रामचन्द्र भाटी नगर नियोजक विभाग से अनुसंधान सहायक पद से सेवा निवृत है। वर्तमान में आयोजना प्रकोष्ठ में श्री चौधरी सूचना के अधिकार से सम्बन्धित कार्यो के प्रभारी है व श्री भाटी, मास्टर प्लान कार्य, तकनीकी सहायक एवं विविध (Miscellaneous) कार्य कर रहे है। अनुसंधान सहायकों (Research Assistant) को प्लानिंग एण्ड रिसर्च से सम्बन्धित कार्यों का अनुभव एवं दक्षता प्राप्त है। इनके कार्यावधि आदेष क्रमांक 986 दिनांक 13.11.2014 के अनुसार मार्च 2015 तक है। इनके अनुभव एवं तकनीकी कार्यदक्षता को मध्यनजर एवं कार्य की महत्वता की परिपेक्ष्य मे इनकी कार्य अवधि मार्च 2016 तक बढ़ाना प्रस्तावित है।

(घ) प्राधिकरण में उपायुक्तो द्वारा जोन मे अरबन प्लानरर्स/आर्किटेक्ट की माँग की जाती रही है। इस क्रम में निदेशक आयोजना द्वारा पत्र क्रमांक F-37/Dir(P)/JDA/2014/ 183-184, दिनांक 24/12/2014 द्वारा सचिव महोदया को यू. ओ. नोट भिजवाया गया जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रत्येक जोन में तकनीकी कार्यो के समयबद्ध निस्तारण के मध्यनजर एवं कार्य की महत्वता की परिपेक्ष्य में अरबन प्लानरर्स/आर्किटेक्ट को लगाया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य में मार्च 2016 तक निम्नानुसार कार्यावधि स्वीकृति आदेश हेतु आगामी कार्यकारी समिति की बैठक मे प्रेषित है –

(क) 2 अरबन प्लानरर्स (GIS EXPERT) सविंदा पर
(ख) 3 अरबन प्लानरर्स/आर्किटेक्ट सविंदा पर
(ग) 2 अनुसंधान सहायक (सेवा निवृत अधिकारी की नियुक्ति)
(घ) 3 अरबन प्लानरर्स सविंदा पर

अतः इस संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया किः–

क– 2 अरबन प्लानर्स (जी.आई.एस. एक्सपर्ट) की संविदा अवधि दिनांक 31 मई, 2015 तक बढायी जाती है तथा इनका भुगतान राविल के माध्यम से किया जावे।

ख– 3 अरबन प्लानर्स/आर्किटेक्ट दिनांक 1 दिसम्बर, 2014 से कार्यरत् है, इनकी संविदा अवधि दिनांक 31 मई, 2015 तक बढायी जाती है।

ग– 2 अनुसंधान सहायक (सेवानिवृत्त) की संविदा अवधि दिनांक 31 मई, 2015 या 65 वर्ष की आयु, जो भी अवधि पहले हो, तक बढायी जाती है।

घ– 2 अरबन प्लानर्स नये सिरे से लगाये जाने है। उनको अनुमोदित पैनल के माध्यम से दिनांक 31 मई, 2015 तक संविदा पर लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या 12 :: **प्राधिकरण में सेवानिवृत कार्मिक श्री प्रदीपचन्द्र माथुर, सेवानिवृत कनिष्ठ लेखाकार एवं श्री शरद कुमार छंगाणी, सेवानिवृत प्रधानाध्यापक को संविदा सेवा पर रखने बाबत।**

श्री प्रदीपचन्द्र माथुर, सेवानिवत कनिष्ठ लेखाकार द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्राधिकरण में रिक्त कनिष्ठ लेखाकार के पद पर संविदा सेवा पर लगाने का निवेदन किया गया है। इसी प्रकार श्री शरद कुमार छंगाणी, सेवानिवृत प्रधानाध्यापक ने भी प्राधिकरण में संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया है। निदेशक–वित्त की अनुशंषा पर श्री प्रदीपचन्द्र माथुर को लेखाधिकारी के सहयोग हेतु एवं श्री शरद कुमार छंगाणी, सेवानिवृत प्रधानाध्यापक को उपायुक्त–दक्षिण के सहयोग हेतु लगाने बाबत उचित निर्णय हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से श्री प्रदीपचन्द्र माथुर, सेवानिवृत कनिष्ठ लेखाकार एवं श्री शरद कुमार छंगाणी, सेवानिवृत प्रधानाध्यापक को प्राधिकरण में आगामी 4 माह हेतु प्राधिकरण में संविदा पर लगाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: भूखण्ड संख्या ए–245, मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना में अवमानना के संबंध में।

तत्कालीन नगर विकास न्यास द्वारा भुखण्ड संख्या 245 सेक्टर ए मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना में दिनांक 04.03.1999 को श्री रतनाराम चौधरी पुत्र श्री लालुराम को आवटंन किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भुखण्ड की सम्पूर्ण राशि जमा करवा दी गई परंतु उक्त भुखण्ड दिनांक 25.04.2008 को विवेक चौहान पुत्र श्री चेतनप्रकाश को आवंटन कर राशि जमा कर पट्टा जारी कर दिया गया है। प्रकरण दोहरे भुखण्ड आवटंन होने के कारण श्री रतनाराम चौधरी को भुखण्ड का कब्जा व पट्टा नही दिया जा सका प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण माननीय उपभोक्ता मंच में वाद दायर किया गया न्यायालय द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अवमानना नोटिस जारी कर श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय/अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण को दिनांक 23.02.2015 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश दिये है। प्रकरण मे अन्यत्र भुखण्ड देने हेतु प्रकरण जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ एव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से अवमानना प्रकरण लम्बित होने के कारण प्रार्थी को समान क्षेत्रफल का भूखण्ड प्राधिकरण की राजीव गांधी आवासीय योजना में आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना का संशोधित मानचित्र तैयार किये जाने बाबत।

राजस्व ग्राम बासनी मालियान के खसरा नम्बर 289 का योजना मानचित्र वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा दिनांक 22.07.2008 को अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 08.06.2009 व दिनांक 09.06.2009 को तत्कालीन अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुरूप संशोधन किया गया एवं आवासीय योजना का नामकरण "सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना" करते हुए दिनांक 07.12.2011 को आवासीय भूखण्डो के निष्पादन हेतु लॉटरी का आयोजन किया गया। लॉटरी में सफल आवेदको से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर लीजडीड जारी की गई। उक्त योजना में कुछ भूखण्डों का निष्पादन नीलामी के माध्यम से भीं किया गया एवं लीजडीड जारी की गई।

सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना के अनुमोदित योजना मानचित्र के अनुरूप भूखण्डो का मौके पर डिमारकेशन के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त योजना के कुछ भूखण्ड समीपीय नाडी के केचमेन्ट एरिया से प्रभावित है, अतः उन भूखण्डो का आवंटन निरस्त किया जाना है। उक्त निरस्त किये गये भूखण्डो के समायोजन हेतु अन्यत्र समकक्ष भूखण्ड दिये जाने है।

राजस्व ग्राम बासनी मालियान के खसरा नम्बर 289 के कुल रकबा में से मात्र 133.33 बीघा पर हीं आवासीय योजना प्रस्तावित की गई है, शेष भूमि रिक्त है। उचित होगा कि उक्त योजना में सम्मिलित नाडी के केचमेंन्ट एरिया को अलग करते हुए प्रश्नगत खसरे की कुछ अतिरिक्त भूमि सम्मिलित करते हुए संशोधित योजना मानचित्र तैयार किया जावे, ताकि नाडी के केचमेन्ट एरिया में आने वाले भूखण्डों का समायोजन किया जा सके।

संशोधित योजना मानचित्र तैयार करते समय मौका स्थिति का सत्यापन करने हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को एवं संशोधित योजना मानचित्र के अनुरूप मौके पर डिमारकेशन हेतु सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता को निर्देशित किया जावे। चूकिं प्रश्नगत योजना में अधिकांश भूखण्डो का निष्पादन किया जा चुका है तथा लीज डीड जारी की जा चुकी है, अतः संशोधित योजना मानचित्र तैयार करते समय इस तथ्य को विशेषतः ध्यान में रखा जावे कि पूर्व में जारी साईट प्लान एवं नवीन रूप से अनुमोदित योजना मानचित्र में भिन्नता नही हो।

निदेशक (आयोजना) को संशोधित मानचित्र तैयार करने हेतु पत्रावली प्रेषित किये जाने पर उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि का नवीन रूप से टोटल स्टेशन सर्वे करवाया जाना प्रासंगिक बताया गया है। इस हेतु डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट को प्रश्नगत भूमि एवं उसके समीपस्थ खाली क्षेत्र का टोटल स्टेशन सर्वे करवाने का कार्यादेश दिया जाना प्रस्तावित हैं। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से योजना में स्थित अतिरिक्त एवं समीपस्थ प्राधिकरण भूमि का चिन्हिकरण कर टोटल स्टेशन सर्वे नगरीय विकास विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार डेडीकेट कन्सलटेन्ट से करवाये जाने का निर्णय लिया गया तथा योजनागत भूमि का भूखण्डवार सत्यापन आवंटन सूची अनुसार 4 कनिष्ठ अभियन्ताओं की टीम लगाकर आगामी 10 दिवस में करवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना में नीलामी के माध्यम से निष्पादित भूखण्ड का क्षेत्रफल मौके पर बढ़ जाने के कारण अन्य समकक्ष भूखण्ड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 06.06.2013 के आयोजित नीलामी कार्यक्रम में सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 165 क्षेत्रफल 178.43 मीटर नीलामी हेतु प्रस्तावित किया गया, जिसे भूखण्ड की उच्चतम बोली रूपये 10,300/- प्रतिवर्गमीटर की दर से अर्जुनसिंह पुत्र श्री मल्लाराम ने खरीद किया। श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री मल्लाराम द्वारा उक्त भूखण्ड के पेटे बकाया राशि जमा करवा दी गई है।

जब प्रार्थी को लीज डीड जारी करने हेतु साईट प्लान जारी किया जाना था, तब यह जानकारी आलोक में आई कि मौके पर डिमारकेशन के दौरान भिन्नता आने के कारण उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल मौके पर बढ़ गया है। प्रार्थी द्वारा बढ़े हुए क्षेत्रफल की राशि जमा करवाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए 178.43 वर्गमीटर का अन्य कॉर्नर भूखण्ड दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को भूखण्ड के बदले अन्य समकक्ष भूखण्ड दिया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से योजना क्षेत्र के भूखण्डों का टोटल स्टेशन सर्वे होने के पश्चात् उपलब्धता के आधार पर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर की कीर्ति नगर आवासीय योजना के सैक्टर बी के भूखण्डो पर अतिक्रमण होने के कारण उक्त सैक्टर बी के भूखण्डो के स्थान पर सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना में लॉटरी द्वारा आवंटित भूखण्ड भीं किसी अन्य को आवंटित होने के कारण अन्य समकक्ष भूखण्ड आवंटित किये किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की बैठक, दिनांक 21.10.2010 में तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर की कीर्ति नगर आवासीय योजना के सैक्टर बी के भूखण्डो पर अतिक्रमण होने के कारण उक्त योजना को डिनोटिफाईड कर आवंटित भूखण्डो के स्थान पर प्राधिकरण की सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना में अन्य समकक्ष भूखण्ड आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया था।

उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में दिनांक 07.12.2011 को लॉटरी निकाली गई। इस लॉटरी के क्रम संख्या 34 पर श्री कैलाश पुत्र श्री प्रेमदास को कीर्ति नगर आवासीय योजना के सैक्टर बी के भूखण्ड संख्या बी–179 के एवज में सुन्दर सिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 129 आवंटित किया गया। जब प्रार्थी को लीज डीड जारी की जानी थी, तब यह जानकारी आलोक में आई कि उक्त भूखण्ड पूर्व में श्री प्रेमाराम पुत्र श्री राजूराम को आवंटित किया जा चुका हैं, जिसकी लीज डीड दिनांक 23.03.2010 को जारी की जा चुकी है।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि इस परिस्थिति में उसे अन्य समकक्ष भूखण्ड आवंटित किया जाता हैं, तो उसे कोई आपत्ति नही है।

प्रार्थी को भूखण्ड के बदले अन्य समकक्ष भूखण्ड दिया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में समान आकार का भूखण्ड़ सुन्दरसिंह भण्डारी नगर योजना में उपलब्धता के आधार पर दिया जावे अथवा यदि प्रार्थी सहमत हो तो राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड आवंटन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: भदवासिया रेलवे फाटक पर आर.ओ.बी. के निर्माण के कारण रामा की प्याऊ, महामन्दिर रेलवे स्टेशन के पास स्थित कियोस्को के सम्बन्ध में निर्णय बाबत्।

रामा की प्याऊ, महामन्दिर रेलवे स्टेशन के पास मुख्यमन्त्री रोजगार योजना के अर्न्तगत बनाये गये कियोस्क की कुल निर्माण लागत एक साथ जमा कराने पर 10 वर्ष के लिये Use and occupation के तहत आवटिंत किये गये थे तथा 10 वर्ष के पश्चात् सम्बन्धित शहरी निकाय/न्यास/प्राधिकरण द्वारा गुण–अवगुणो के आधार पर विस्तार के लिये निर्णय लिया जाना प्रस्तावित था।

आवंटन की शर्तो के अनुरूप उक्त स्थल को आवंटित हुए 10 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया है एवं आर.ओ.बी. निर्माण के पश्चात् उक्त स्थल पर किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियो के संचालन की सम्भावना भी नही हैं। उक्त कियोस्क भदवासिया रेलवे फाटक पर आर.ओ.बी. के निर्माण क्षेत्र की परिधि में आने के कारण हटाये गये है। पूर्व में जब इन कियोस्को को दस वर्ष का समय पूर्ण नही हुआ था, तो कार्यकारी समिति की बैठक

दिनांक 23.07.2011 एवं प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.04.2012 में इन्हें कियोस्क के स्थान पर कियोस्क देने का तथा दिनांक 13.08.2013 की बैठक में कियोस्क के स्थान पर दुकान देने का प्रस्ताव लिया हुआ है। नवीन परिप्रेक्ष्य में उक्त प्रस्तावों पर पुनः विचार कर प्रकरण में उक्त कियोस्को के स्थान पर अन्य स्थल पर कियोस्क आवंटित करने अथवा नही करने के सम्बन्ध में कार्यकारी समिति/प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में आठ याचिकाऐ विचाराधीन है, जिनमें जबाब एवं अतिरिक्त शपथ–पत्र भीं प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कियोस्क के स्थान पर अन्य कियोस्क देने का कोई प्रावधान नही होने के बारे में न्यायालय को अवगत करवाया गया हैं। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत जवाब अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 308 क्षेत्रफल 83.61 मीटर पूर्व में अन्य व्यक्ति को आवंटित होने के कारण प्रार्थी को अन्य समकक्ष भूखण्ड आवंटित किये जाने बाबत।

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.02.2014 के आयोजित नीलामी कार्यक्रम में सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या 308 क्षेत्रफल 83.61 मीटर नीलामी हेतु प्रस्तावित किया गया, जिसे भूखण्ड की उच्चतम बोली रूपये 10,800/– प्रतिवर्गमीटर की दर से श्री सम्पतराज पुत्र श्री मोहनलाल ने खरीद किया। श्री सम्पतराज पुत्र श्री मोहनलाल द्वारा उक्त भूखण्ड के पेटे बकाया राशि जमा करवा दी गई है।

जब प्रार्थी को लीज डीड जारी करने हेतु साईट प्लान जारी किया जाना था, तब यह जानकारी आलोक में आई कि उक्त भूखण्ड पूर्व नीलामी कार्यक्रम 19.01.2010 में ही नीलाम कर लीजडीड जारी कर दी गई थी, परन्तु सहवन से उक्त भूखण्ड दुबारा नीलाम कर दिया गया।

सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना के योजना मानचित्र में मौके पर डिमारकेशन के दौरान भिन्नता आने एवं योजना का कुछ भाग नाडी के केचमेन्ट एरिया से प्रभावित होने के कारण प्राधिकरण की आयोजना शाखा द्वारा उक्त योजना का संशोधित मानचित्र तैयार किया जाना प्रस्तावित है। योजना मानचित्र ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् प्रार्थी को नीलामी में आवंटित भूखण्ड के समतुल्य भूखण्ड चिन्हित कर, प्रकरण कार्यकारी समिति में रखा जाकर समिति के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में समान क्षेत्रफल का भूखण्ड़ सुन्दरसिंह भण्डारी नगर योजना में उपलब्धता के आधार पर दिया जावे अथवा यदि प्रार्थी सहमत हो तो राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड आवंटन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 19 :: गौशाला मैदान खेल कॉम्पलेक्स मे सिन्थेटिक ट्रेक का निमार्ण कार्य

उक्त कार्य की वित्तिय एंव प्रशासनिक स्वीकृति रू.500.00 लाख की दिनांक 18.04. 2013 को जारी की गयी थी। तत्पश्चात इसकी निविदा दिनांक 21.02.14 को जारी की गयी

थी। जो 18.04.14 तक प्राप्त की जानी थी। कार्य की तकनिकी बिड 21.04.14 को व वित्तिय बिड 01.08.14 को खोली गयी।

निविदा मे न्यूनतम दर दाता मैसर्स शिव नरेश स्पोटर्स प्रा.लि. E-23 करमपुर नई दिल्ली की दरें Negotiation के बाद स्वीकृत की गयी दर अनुसार कार्यादेश जारी रू. 2,43,90073/– का दिनांक 19.09.14 को जारी किया गया। D.P.R अनुसार तकमीने मे प्रस्तावित 'H' की दरे व न्यूनतम दर दाता द्वारा प्रस्तुत दर मे काफी अन्तर होने के कारण 500.00 लाख की A&F के विरूद्व कार्यादेश राशि रू.2,43,900,73/– का ही दिया गया था। कार्य मौके पर प्रगति पर है कार्य शुरू करने के पश्चात ट्रैक से पानी निकासी की समस्या के मध्यनगर Surface Drain की मांग पर 26.00 लाख की Extra Itam की स्वीकृति प्रदान कर Drain निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

माननीय जिला कलेक्टर एंव अध्यक्ष महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण,के दिनांक 21. 01.15 को मौका निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशानुसार सिन्थेटिक ट्रेक व फुटबॉल मैदान की D- Block मे भी अन्य खेलकूद गतिविधियो हेतु सिन्थेटिक ट्रेक का निर्माण एंव सिन्थेटिक ट्रेक के बाहर की ओर Walk Way व Jogger Path हेतु 2m चौडी Paved Tiles व 4 मीटर चौडी Walking सिन्थेटिक ट्रेक के निर्माण हेतु निर्देश प्रदान किये गये सिन्थेटिक ट्रैक के निर्माण हेतु D.P.R. की अनुमानित लागत 500.00 लाख के तकमीनें के एवज मे राज्य सरकार से 300.00 लाख रूपये प्राप्त हो चुके है। D- Block, Walk Way, Jogger Path व Drain के निर्माण पर रू.200 लाख व्यय होने की सम्भावना है। जो कि प्रदत्त A&F रू. 500. 00 लाख के अन्तर्गत ही है। पूर्व में जारी ए.एण्ड.एफ. जोब 161 दिनांक 242/18.4.2013 राशि रूपये 500.00 लाख को Split करते हुए Re-appropration करने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

1–	गौशाला मैदान में खेल कॉम्पलेक्स ट्रेक निर्माण एवं फुटबॉल मैदान के चारों ओर ड्रेन नाला का निर्माण	=	300.00 लाख रूपये
2–	गौशाला मैदान में खेल कॉम्पलेक्स ट्रेक निर्माण शेष कार्य	=	200.00 लाख रूपये
	योग	::	500.00 लाख रूपये

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 :: पुलिस थाना राजीव गांधी नगर को ग्राम कैरू के खसरा संख्या 812 मे भूमि आवंटन हेतु एजेन्डा मे सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव

कार्यालय अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त(पश्चिम), जोधपुर द्वारा पुलिस थाना राजीव गांधी नगर को ग्राम कैरू के खसरा संख्या 812 मे भूमि आवंटन हेतु मांग की गई हैं। जिसके सम्बन्ध मे कार्यालय अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त(पश्चिम), जोधपुर के पत्र क्रमांक 55–99 दिनांक 03/02/2015 द्वारा ग्राम कैरू के खसरा संख्या 812 मे भूमि स्थित है। जिसमे से पुलिस थाना राजीव गांधी नगर हेतु प्रशासनिक भवन के लिए 15 बीघा उपयुक्त भूमि निःशुल्क आवंटन करने की मांग की है। पूर्व मे इस खसरा नम्बर 812 मे आवंटित पुलिस चौकी केरू की भूमि से लगती हुई पैट्रोल पम्प के पीछे एवं जोधपुर की तरफ मुख्य सड़क 170 फीट उपलब्ध भूमि मौके पर रिक्त है। जिसे पुलिस थाना राजीव गांधी नगर हेतु आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक मे निर्णय एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में प्रस्तावानुसार 5 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन करने की अभिशंषा सहित राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 :: सहायक पुलिस आयुक्त बोरानाडा/ पुलिस थाना बोरानाडा/महिला थाना पश्चिम हेतु भवन के लिए जमीन आवंटन के संबंध में।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक जोध/ अति पुलिस उपायुक्त/ पश्चिम/2015/105–11 दिनांक 3 फरवरी, 2015 द्वारा ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 358/27 व खसरा संख्या 454/298 की भूमि में से सहायक पुलिस आयुक्त बोरानाडा/ पुलिस थाना बोरानाडा/ महिला थाना पश्चिम के प्रशासनिक भवन के लिए उपयुक्त जमीन आवंटन करने की मांग की है।

इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गयी। रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 358/27 व 454/298 जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। उक्त संपूर्ण भूमि पर आवासीय अतिक्रमण है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में प्रस्तावानुसार भूमि आवंटन आवासीय अतिक्रमण होने से आवंटित किया जाना संभव नहीं है। इस भूमि के बदले वैकल्पिक भूमि का चयन कर प्रस्ताव भिजवाने हेतु विभाग के प्रतिनिधि को सूचित किया जावे ताकि आवंटन की कार्यवाही की जा सके।

प्रस्ताव संख्या 22 :: पुलिस उपायुक्त–पश्चिम जोधपुर व सहायक पुलिस आयुक्त प्रतापनगर के कार्यालय हेतु जमीन आवंटन के संबंध में।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक जोध/ अति पुलिस उपायुक्त/ पश्चिम/2015/100–4 दिनांक 3 फरवरी, 2015 द्वारा ग्राम चौखा के खसरा संख्या 5 व 6 में स्थित भूमि में से कार्यालय पुलिस उपायुक्त–पश्चिम व कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त प्रतापनगर के प्रशासनिक भवन के लिए उपयुक्त जमीन आवंटन की मांग की है।

इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गयी। रिपोर्ट के अनुसार ग्राम चौखा के खसरा संख्या 4 व 5 की भूमि राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है। प्राधिकरण के नाम उक्त भूमि दर्ज नहीं है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में प्रस्तावानुसार भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज नहीं है। अतः भूमि प्राधिकरण के नाम हस्तान्तरण करवाने के पश्चात् पुनः प्रकरण समस्त रिपोर्टों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 23 :: राजस्व ग्राम कडवड के खसरा नम्बर 422 की रकबा 6–08 बीघा भूमि में से 5 बीघा भूमि पुलिस थाना कडवड को आवंटित किये जाने बाबत्।

थानाधिकारी, पुलिस थाना, कडवड द्वारा राजस्व ग्राम कडवड के खसरा नम्बर 422 की रकबा 6.08 बीघा भूमि में से 5 बीघा भूमि पुलिस थाना, कडवड को आवंटित किये जाने का

निवेदन किया गया है। पटवारी–उत्तर की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि की किस्म बारानी–चतुर्थ है एवं भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि में से एक बीघा भूमि शहीद स्मारक हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय पूर्व में लिया जा चुका है। मौके पर भूमि रिक्त है। उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर राजस्व ग्राम कडवड के खसरा नम्बर 422 की रकबा 6–08 बीघा भूमि में से 5 बीघा भूमि पुलिस थाना, कडवड को आवंटित किये जाने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में प्रस्तावानुसार दो बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की अभिशंषा सहित राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 24 :: मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में आवंटियों को आवंटित भूखण्ड का कब्जा दिये जाने के संबंध में।

मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया योजना के सेक्टर–ए में कई आवंटियों को उन्हें आवंटित भूखण्ड का कब्जा दिया जाना संभव नहीं हो रहा है। ऐसे में कई आवंटियों ने माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में निम्नलिखित आवंटियों ने अपने आवंटित भूखण्ड का कब्जा सुपुर्द करने हेतु अवमानना याचिकाएं दायर की हैः–

क.सं	आवंटी का नाम	मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना के सेक्टर ए में आवंटित भूखण्ड संख्या
1–	श्री जेठुसिंह पुत्र श्री नृसिंह	198
2–	श्री राम	237
3–	श्री सुमित सतावन पुत्र श्री जी.एम. मीना	201
4–	श्री दिनेश पटेल पुत्र श्री तुलसीराम	160

बैठक में बाद विचार विमर्श के दौरान सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अगर कब्जा दिया जाना संभव नहीं हो तो प्राधिकरण की राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में समान क्षेत्रफल का भूखण्ड आवंटित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 25 :: जिला व तहसील जोधपुर ग्राम नांदडी – सारण नगर रेलवे कॉसिंग संख्या सी–165 पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के संबंध में।

अवाप्ति प्रकरणों से संबंधित कार्यालय टिप्पणी की पत्रावली उपलब्ध नहीं है। उक्त अवाप्ति प्रकरण में तथ्यात्मक वस्तुस्थिति निम्नानुसार है –

प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जिला व तहसील जोधपुर में जयपुर–जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम नांदड़ी सारण नगर में स्थित रेलवे क्रॉसिंग संख्या सी. 165 पर रेलवे ऑवरब्रिज निर्माण हेतु विभिन्न खसरान् की निजि खातेधारी भूमि अधिग्रहण करने हेतु केंद्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(1) के अनतर्गत 29.08.2011 को अधिसूचना जारी हुई एवं धारा 6 व सपठित धारा 17(1),(4) के अधिसूचना 05.12.2011 को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के तहत् समस्त औपचारिकता के उपरान्त दिनांक 20.09.2013 को निविदत् (टेण्डर) अवार्ड जारी किया गया। जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन पश्चात् संबंधित हितबद्ध धारकों को मुआवजा राशि का भुगतान की कार्यवाही की गई किंतु भुगतान

नहीं हुआ। उक्त प्रकरण में आगामी कार्यवाही करते हुये दिनांक 03.12.2013 को अंतिम मुआवजा अवार्ड कुल राशि रू. 3805413 पारित किया जा कर अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया गया।

यह है कि उक्त अवाप्ति प्रकरण में संयुक्त शासन सचिव तृतीय नगरीय विकास विभाग राज. जयपुर के पत्रांक प.6(96) नविवि/3/2011–पार्ट, दिनांक 14.05.2014 द्वारा अंतिम अवार्ड में निर्धारित कि गई मुआवजा राशि को अनुमोदित करते हुए नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन अधिकार अधिनियम 2013 के तहत् उल्लैखित उपबंधों के अन्तर्गत ड्राफ्ट अवार्ड में पुनः निर्धारण कर संबंधित खातेधारों को नियमानुसार भुगतान की शर्त पर अनुमोदन किया गया है। इस संबंध में कार्यालय के पत्र क्रमांक 55 दिनांक 17.06.2014 के द्वारा श्रीमान संयुक्त शासन सचिव नगरीय विकास विभाग राज. जयपुर से मार्गदर्शन प्रदान कराने हेतु निवेदन किया गया जो अब तक अपेक्षित है।

इस संबंध में भूमिधारियों को अवार्ड की राशि 38,05,413 का भुगतान करने हेतु पत्रावली सचिव/आयुक्त महोदय के समक्ष आदेशार्थ प्रस्तुत की गई। सचिव महोदया प्रकरण को कार्यकारी समिति में निर्णयार्त हेतु निर्देश प्रदान किये हैं। अतः सारण नगर आर.ओ.बी. के भूमिधरियों को मुआवजा की राशि का भुगतान करने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में निर्णय लिया गया है कि संबंधित अवार्डियों को नियमानुसार रू. 38,05,413 का भुगतान कर दिया जाये।

प्रस्ताव संख्या 26 :: भदवासिया रोड पर स्थित नवनिर्मित दुकानों की नीलामी के संबंध में।

अधिशाषी अभियन्ता (उत्तर), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा अग्रेषित सचिव महोदय द्वारा जिला कलक्टर महोदय को सम्बोधित पत्रांक एफडीसी–एन/आवं/2012–13 के अनुसार दुकान संख्या 29 से 41 तक 13 दुकान, दुकान संख्या 20 से 28 तक 9 दुकान कुल (13+9 = 22) बाईस दुकानो का आवंटन किया जा चुका है। दुकान संख्या 43 से 52 तक कुल 10 दुकाने स्टेट साईकिल सवार ट्रस्ट मण्डोर पर स्थित दुकानो हेतु आवंटित किये जाने हेतु आरक्षित है। इस प्रकार कुल नवनिर्मित 52 दुकानो में से 32 दुकानो का निष्पादन हो चुका है एव 20 दुकाने खाली है।

कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) की रिपोर्ट अनुसार एक दुकान के निर्माण की लागत 1,57,160.42 रूपये आई है। रिक्त दुकानो का क्षेत्रफल निम्नानुसार हैं :–

क्रम संख्या	दुकान संख्या	क्षेत्रफल
1.	01	21.074 वर्गमीटर
2.	02 से 16	19.701 वर्गमीटर (प्रत्येक दुकान का)
3.	17	25.372 वर्गमीटर
4.	18 से 19	19.701 वर्गमीटर (प्रत्येक दुकान का)
5.	42 (with staircase)	19.701 वर्गमीटर

उक्त रिक्त दुकानो में से कुछ दुकानो का आवंटन एवं शेष का निस्तारण नीलामी के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त तथ्यो के परिप्रेक्ष्य में उक्त दुकानो के निर्माण लागत में उक्त क्षेत्र की आरक्षित दर या डीएलसी दर (जो भी अधिक हो) जोड़ी जाकर नियमानुसार न्यूनतम बोली की दर तय की जानी है। उपरोक्त तथ्यो के मध्यनजर प्रश्नगत

2608-645
9/2/15

आवंटन पश्चात् शेष रही दुकानो को नीलामी कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने के प्रस्ताव समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवंटन के पश्चात् शेष रही दुकानों का निष्पादन खुली नीलामी द्वारा किया जावे। न्यूनतम बोली दर निर्धारण हेतु उपायुक्त–उत्तर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी में प्रभारी अधिकारी–नीलामी, संबंधित अधिशाषी अभियन्ता, संबंधित तहसीलदार सदस्य होंगे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(अज़रा परवीन)
सचिव

क्रमांक / आवंटन / 2014 / 1802–5 / II / 2608-645 दिनांक :: 9 फरवरी, 2015

प्रतिलिपिः–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
03. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय / यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर / पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
04. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
05. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
07. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड / क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर / बोरानाड़ा
09. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर / प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
10. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
11. निजी सचिव (आयुक्त / अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी / नियोजन / वित्त / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. ....

(अज़रा परवीन)
सचिव

2608-645
9-2-15

परिशिष्ट–1

दिनांक 4 फरवरी, 2015 को प्रातः 11.00 बजे श्री भूराराम चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री मानाराम पटेल, अतिरिक्त कलक्टर–द्वितीय, जोधपुर
2. श्री दलवीर सिंह ढढ्ढा, आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर
3. श्री विनीत बंसल, सहायक पुलिस उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
4. श्री कैलाश रामदेव, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
5. श्री सुरेश व्यास, अधिशाषी अभियन्ता, नगर खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
6. श्री एच.एन. बुनकर, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, जोधपुर
7. श्री महेन्द्रसिंह चौधरी, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, बोरानाडा, जोधपुर
8. श्री विनोद गुप्ता, क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, जोधपुर
9. श्री बंशीलाल, प्रबन्धक (यातायात), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
10. श्री आर.पी. शर्मा, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री एस.आर. जोशी, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री बी.डी. जाट, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री नरपतसिंह शेखावत, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री मोहनसिंह राजपुरोहित, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री ओ.पी. बुनकर, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री आर.एन. विश्नोई, अधिशाषी अभियन्ता (सी.डी.–I), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
17. श्री चम्पालाल चौधरी, उप निरीक्षक, यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
18. डॉ. ललित कुमार मतनानी, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. श्रीमती अज़रा परवीन, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर